

महावीर कॉलोनी में नाली का घटिया निर्माण

हरिभूमि न्यूज़ » दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग के वार्ड 38 बैद्यनाथ पारा स्थित महावीर कॉलोनी क्षेत्र में लगभग 15-15 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन दो नाली निर्माण के दौरान घटिया काम किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर महापौर अलका बाघमार ने लोक कर्म प्रभारी देव नाययण चन्द्राकर, पार्षद रामचंद्र सेन, अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों के साथ स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह गड़बड़ी सामने आई। महापौर ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, गहराई, चौड़ाई तथा उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री का बारीकी से परीक्षण कराया। स्थानीय

नागरिकों द्वारा नाली निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत पर उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली तथा निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए। देव नारायण चन्द्राकर ने स्वयं टेप से नालियों की नाप-जोख कराया। निरीक्षण के दौरान निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने पर उन्होंने संबंधित एजेंसी एवं ठेकेदारों के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए राजीव झा तथा संबंधित ठेकेदारों को सख्त फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि निर्माण कार्य में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो कार्य रोकने के साथ-साथ संबंधित ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।



मानकों में कमी मिलने पर ठेकेदारों को कड़ी फटकार सुधार नहीं होने पर काम रोकने व ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश

गुणवत्ता पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कार्रवाई के निर्देश

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा कराए जा रहे प्रत्येक विकास कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासन की मंशा के अनुरूप किसी भी निर्माण कार्य में लापरवाही, अनियमितता या मानकों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जांच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो संबंधित दफ्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को ठेकेदार राजीव झा एवं मनीष सोनी और राहुल सिंह के विरुद्ध आवश्यक जांच के लिए सैंपल लेकर लेब भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिस फर्म के द्वारा मालत कार्य किया जा रहा पाया जाएगा। ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए।

निष्पक्ष जांच के बाद दोष सिद्ध होने पर ब्लैक लिस्टेड होगी एजेंसी

महापौर ने साथ ही निर्माण कार्यों की नियमित मोनिटोरिंग कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी निर्माण कार्य में बरती जा रही कथित अनियमितताओं से महापौर को अवगत कराया। महापौर ने सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान पार्षद रामचंद्र सेन, पार्षद रंजीता पाटिल, पार्षद सुरेश्वि उमरे, पार्षद सावित्री दमाह,ललिता ठाकुर, कार्यपालन अभियंता मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, उप अभियंता मोहित मरकाम सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

ख़बर संक्षेप



चिकित्सा परामर्श शिविर में लोग हुए लाभान्वित

भिलाई। गुरु घासीदास सेवा समिति सतनाम भवन सेक्टर-6 भिलाई के तत्वावधान में सर्व समाज के जरूरत मंद लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। महासचिव एन आर गिलहरे ने बताया कि निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सेवाएं देने डॉ. जीवन लाल घोड़ले पेट, लीवर रोग विशेषज्ञ सेवानिवृत्त बीएसपी हॉस्पिटल सेक्टर -9, डॉ. एंडी बनर्जी छाती रोग विशेषज्ञ सेवानिवृत्त बीएसपी हॉस्पिटल सेक्टर-9, डॉ. संगीता पात्रे प्रसूति, स्त्री रोग, निः संतानता विशेषज्ञ तथा डॉ. रितु कुर्चर चर्म रोग विशेषज्ञ मौजूद थे।

वृद्ध लापता, अपहरण की आशंका, थाने में शिकायत

भिलाई। घर ने बिना बताए

निकले 79 वर्षीय रसीद अचानक लापता हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वे फलक नुमा मस्जिद, जुनवानी रोड के पास स्थित अपने घर से रसीद निकले थे। अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। परिजनों ने आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वे शर्ट एवं पैंट पहने, हाथ में पीले रंग का थैला है। अपहरण की आशंका बनी हुई है। बहरहाल पुलिस मामले में पतासाजी कर रही है। बुजुर्ग के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

पावर हाउस फल मंडी में गंदगी का अंबार



भिलाई। पावर हाउस फल मंडी में कचरों की भरमार है, जिससे गंदगी व बदबू का वातावरण है। कोई सुध नहीं ले रहा, इतनी गंदगी और बदबू आ रही है। सूर्य नगर बस्ती में सड़-गले फल को फेंक दिया जाता है। निगम में कई बार कस्ती के लोगों ने अपनी समस्या को बताया उसके बाद भी उसका समाधान नहीं निकला फल मंडी वाले फल को पूरा वहीं फेंक देते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। पूरा बदबू से वहां के रहवासी परेशान है। निगम के अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ले रहा है।

चतुर्थ वेतन संशोधन समिति के गठन में विलंब, खामियाजा भुगत रहे अधिकारी

हरिभूमि न्यूज़ » भिलाई

चौथे वेतन पुनरीक्षण समिति में लेटलतपी की कीमत तथा सेम्री के उपाध्यक्ष रॉदर सिंह ने को चुकानी पड़ रही है। इसे देखते हुए एनसीओए ने लोक उद्यम (डीपीई) चौथे वेतन पुनरीक्षण समिति के जल्द गठन और वहनीयता की शर्त को खत्म करने और लंबित पीआरपी के जल्द भुगतान की मांग की है। सचिव ने आश्चस्त किया है।

एनसीओए के अध्यक्ष एमएल अडसुल, कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर, चेयरमैन वीके तोमर तथा सेम्री के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के सचिव के मोसेस चलयई से दिल्ली में मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि वर्तमान में सभी



केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अत्यंत प्रतिस्पर्धी एवं गतिशील वातावरण में कार्य कर रहे हैं, जहां उन्हें घरेलू एवं वैश्विक निजी क्षेत्र की कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ये उद्यम राष्ट्र निर्माण, अधोसंरचना विकास, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल विस्तार तथा अन्य नरणीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।इसलिए । लेकिन चौथे पीआरसी गठन में विलंब से

नुकसान हो रहा है। 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होने वाली चौथी वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है। एनसीओए ने मांग की कि समिति के गठन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। क्योंकि तृतीय वेतन संशोधन समिति का गठन 9 जून 2016 को किया गया था तथा केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 3 अगस्त 2017 को वेतन संशोधन आदेश जारी किए गए, जो 1 जनवरी 2017 से प्रभावी थे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वेतन पुनरीक्षण समितियों का समय पर गठन एवं क्रियान्वयन सीपीएसई के अधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सेवा लाभों के संशोधन के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आवश्यक है।



■ गरिमापूर्ण कार्यक्रम के लिए प्रशासन के साथ की बैठक

आयोजित हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की उनके परिवारजनों से जानकारी ली। श्री यादव ने परिजनों को आश्वासन दिया की शासन हर संभव सहयोग के लिए दिवंगत तीजन बाई के परिजनों के साथ है। इस अवसर पर भिलाई तीन- चरौदा के महापौर निर्मल कोसरे, गनियारी के नागरिकों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे।



भिलाई। अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका और सेवानिवृत्त बीएसपी कर्मचारी पद्म विष्णुपतीराजन बाई की स्मृति में इस्पात मजद के समानार में श्रद्धांजलि स्म का आयोजन किया गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें मावमीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय लोकसंस्कृति एवं पंडवानी परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में उनके योगदान को स्मरण किया। कार्यपालक निदेशक पवन कुमार, महाप्रबंधक प्रभारी अमृत्य प्रियदर्शी, जीएम् संजय द्विवेदी सहित कीडा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं, संपर्क, प्रशासन एवं पीआर के कर्मी अधिकारी उपस्थित थे। पवन कुमार ने अपने श्रद्धासुजन अर्पित करते हुए कहा कि तीजन बाई ने विशिष्ट पंडवानी शैली के माध्यम से खसीसगढ़ की लोककला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनका निरान भिलाई इस्पात संयंत्र परिवार के लिए भी अपूर्णाय क्षति है।श्री प्रियदर्शी ने कहा कि तीजन बाई का संपूर्ण जीवन कला-साधना, संघर्ष और समाज का प्रेरणादायी उदाहरण है। कार्यक्रम का संचालन सुप्रियो सेन ने किया।

आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की ...

सहित कुल 24 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। वह प्रत्येक माह नियमित रूप से सभी केंद्रों का निरीक्षण करती हैं तथा जहां भी किसी प्रकार की कमी या समस्या सामने आती है, उसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है।

हाईटेक हाजिरी ...

रहे हैं, लेकिन ऐसे उनकी उपस्थिति दर्ज ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे में नियमित रूप से ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के सामने भी अनुपस्थित माने जाने का खतरा पैदा हो गया है। जानकारी के अनुसार यह समस्या केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं है। सीएसपी, बीआरसी, संकुल समन्वयक, निरीक्षण करने वाले अधिकारी तथा प्रशिक्षण एवं विभागीय बैठकों में शामिल होने वाले अधिकारी भी ऐप की तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कई बार अधिकारी कार्यालय या प्रशिक्षण स्थल पर रहते हैं, लेकिन ऐप उन्हें निर्धारित स्थान से बाहर बताकर उपस्थिति स्वीकार नहीं करता।

मैदानी जिम्मेदारी निभाएं या ऐप चलाएं ? शिक्षकों का कहना है कि विभाग एक ओर कक्षा में

धमकी देने के मामले में दो दोषी करार, न्यायालय ने सुनाई सजा

हरिभूमि न्यूज़ » दुर्ग

शहर के कारोबारी और सर्व समाज कल्याण समिति अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दुर्ग कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।



■ 500 जुर्माना, नहीं दिया तो 10 दिन अतिरिक्त सजा

न्यायालय ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1-1 साल साधारण कारावास और 500-500 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 10 दिन की अतिरिक्त जेल होगी। मिली जानकारी जानकारी के मुताबिक दोषी करार दिए गए आरोपी हैं राजेश कुमार गुप्ता और समाजसेवी स्व. मंगा सिंह के बेटे सतबीर सिंह उर्फ सोने है। कुछ साल पहले 3 जनवरी को इंद्रजीत सिंह

छोटू की हैवी ट्रॉसपोर्ट कंपनी, हथखोज भिलाई के ऑफिस में पंजीयन डाक से सफेद लिफाफा आया था। लिफाफे के अंदर धमकी भरा पत्र था जिसमें उल्लेख था कि छोटू क्यों इतना दुश्मनी पाल रहा है। पूरे शहर से दुर्ग से रायपुर तक तेरे पीछे आदमी लग गए हैं। तुझे मारने के लिए आदमी बाहर से आ गए हैं। इतना पैसा क्या करेगा। पत्र मिलने के बाद इंद्रजीत सिंह छोटू ने तत्काल भिलाई तीन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने धारा 506, 507 के तहत अज्ञात के अपराध दर्ज किया। जांच शुरू करने के बाद पता चला कि धमकी भरा पत्र सेक्टर-2 पोस्ट ऑफिस से भेजी गई थी।

न्यायालय ने कहा

सजा के बिंदु पर सुनवाई में आरोपियों के वकील ने पहला अपराध बताकर पर्सिवीक्षा या सिर्फ जुर्माने की मांग की। लेकिन अभियोजन ने कड़ी सजा की मांग की। न्यायालय ने कहा कि धारा 507 ए में धमकी के साथ 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। अपराध की गंभीरता और लंबे समय से लंबित प्रकरण को देखते हुए कोर्ट ने दोनों को धारा 506 में 6 माह 500 जुर्माना धारा 507 में 6 माह साधारण कारावास कुल 1 साल जेल और 500 अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना जमा न करने पर 10 दिन अतिरिक्त जेल होगी। सजा वाटै तैयार कर दोनों को केन्द्रीय जेल दुर्ग भेजा जाएगा।

उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम कुलार्थ, प्रधान आरक्षक येमन बबलेर, आरक्षक रमेश चंद्रवंशी, शिव यादव सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

स्थायी जाति प्रमाण पत्र ..

बेरला में 11 जुलाई से 25 जुलाई तक तथा विकासखंड बेमेतरा में 11 जुलाई से 08 अगस्त 2026 तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों के आयोजन की स्थलवार एवं तिथिवार जानकारी जिले के सभी विद्यालयों को पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई है। इन शिविरों में विद्यार्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार आवेदन स्वीकृति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और समयबद्ध रूप से प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके। इस संबंध में सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल प्राचार्यों, संबंधित राजस्व अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थल पर प्रातः 10:00 बजे से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर विद्यार्थियों के जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सुचारु एवं समयबद्ध ढंग से संपादित करना सुनिश्चित करें।

